संख्याः जी–2–125/दस–2012

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 09 अप्रैल, 2012

विषयः **सामान्य भविष्य निधि के शेड्यूल्स प्रेषण में त्रुटियों के निराकरण के संबंध में।**

महोदय,

सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों का सही ढंग से रख–रखाव सुनिश्चित कराने हेतु शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा इस संबंध में शासन द्वारा

1–सं0–जी–2–1213/दस–2007–314/2007,दि0 16 अगस्त, 2007
2–संख्या–जी–2–971/दस–2008–314/2007, दि0 02 जुलाई, 2008
3–सं0–जी–2–88/दस–2011, दि0 09 फरवरी, 2011

समय–समय पर निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं। इस संबंध में कार्यालय महालेखाकार द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जी0पी0एफ0 शेड्यूल्स को सही तरीके से नहीं बनाया जा रहा है एवं उनमें कई कमियॉं विद्यमान रहती हैं यथा–अभिदाताओं की लेखा संख्या न अंकित करना, चतुर्थ श्रेणी व तृतीय श्रेणी की कटौतियों को अलग–अलग न दर्शाया जाना, शेड्यूल में दर्शायी गयी कुल कटौतियों एवं वाउचर में दर्शायी गयी कुल कटौती की धनराशि में अन्तर होना एवं चतुर्थ श्रेणी व दिनांक 01–4–2005 से नियुक्त अभिदाताओं के अंशदानों को तृतीय श्रेणी अभिदाताओं की राशि में भेजा जाना आदि। यह स्थिति उचित नहीं है।

2– इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पार्श्वांकित शासनादेशों में समय–समय पर दिए गए दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/करवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता बरतने की स्थिति में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव

–2–

संख्या–जी–2– 125 (1)/दस–2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव